कर-राजस्व

निगम कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
(क) साधारण संग्रहण	18455.71	16789.00	19263.00
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	27683.57	25452.00	29205.00
(ग) अधिभार	2245.00	2235.00	1700.00
(घ) विविध प्राप्तियां	231.72	224.00	1331.00
जोड़	**48616.00**	**44700.00**	**51499.00**

वर्ष 2002-2003 के दौरान 44700 करोड़ रुपए और 2003-2004 में 51499 करोड़ रुपए के संग्रहण होने का अनुमान है।

निगम-कर से भिन्न आय पर कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
(क)	साधारण संग्रहण	15223.52	13353.00	16741.00
(ख)	अग्रिम कर संग्रहण	22835.28	20030.00	24619.00
(ग)	अधिभार	2300.00	2018.00	1100.00
(घ)	विविध प्राप्तियां	2165.20	1899.00	1610.00
	जोड़	**42524.00**	**37300.00**	**44070.00**

वर्ष 2002-2003 के दौरान 37300 करोड़ रुपए और वर्ष 2003-2004 में 44070 करोड़ रुपए के संग्रहण होने का अनुमान है।

व्यय कर

व्यय कर अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत, ऐसे होटलों में ठहरने पर किए गए व्यय के संबंध में कराधान का प्रावधान है, जहाँ किसी रिहायशी स्थान की एक इकाई के कमरे का प्रति व्यक्ति कमरा प्रभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो । वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधन के पूर्व किसी ऐसे होटल जहां कमरा प्रभार किसी आवास चाहे वह रिहायशी हो अथवा अन्यथा के प्रावधान से संबंधित प्रति व्यक्ति अथवा खाद्य या पेय अथवा ऐसे होटल में किराए अथवा पट्टे पर किसी आवास अथवा होटल में ब्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लब, तरणताल अथवा अन्य सेवाओं द्वारा किसी अन्य सेवा के लिए दो हजार रुपए अथवा अधिक हो, पर किए गए व्यय अथवा किए गए भुगतान पर कर लगाया गया था। संशोधन के पश्चात् व्यय कर अधिनियम के उपबंध केवल कमरा प्रभार पर और केवल वहां जहां ऐसा प्रभार किसी रिहायशी आवास की किसी इकाई के लिए प्रतिदिन तीन हजार रुपए अथवा अधिक हो, पर ही लागू हैं। दर, जिसपर व्यय कर लगाया जाता है वह 10% है। संशोधित अनुमान वर्ष 2002-2003 में 300 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2003-2004 में शून्य राशि रखी गई है।

धन कर

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94 से कतिपय निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था । शेयरों, बैंक में जमाराशियों, सावधि जमा राशियों, बॉण्डों और ऋण-पत्रों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था और यह केवल रिहायशी गृहों, फार्म हाऊस, शहरी भूमि, जेवरात, सोना-चांदी, मोटर कार, हवाई जहाज, नौकाओं, पोत आदि जैसी अनुत्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में ही लगाया जाता है। धनकर उस राशि, जिससे निवल धन पंद्रह लाख रुपए से अधिक हो जाती है, के 1% की दर पर प्रभार्य है।

धन-कर के संबंध में संशोधित अनुमान 2002-2003 में 145 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2003-2004 में 145 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

सीमा शुल्क

वर्ष 2002–2003 के लिए निवल सीमा शुल्क राजस्व 45500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा बजट अनुमान 2003-2004 के लिए 49350 करोड़ रुपए है। अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए)

			बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
(i)	आयात शुल्क		44165.00	44610.00	48383.00
	(क)	बुनियादी शुल्क	25506.98	25077.00	27343.00
	(ख)	अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	15582.62	15936.00	16921.00
	(ग)	विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)	3075.40	3595.00	3757
	(घ)	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	...	...	...
	(ङ)	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	...	2.00	2.00
	(च)	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	...	...	360.00
(ii)	निर्यात शुल्क		13.00	...	5.00
(iii)	निर्यात पर उपकर		143.00	153.00	163.00
(iv)	अन्य प्राप्तियां		872.00	737.00	799.00
	जोड़		**45193.00**	**45500.00**	**49350.00**

सीमा-शुल्क के विभिन्न घटकों के ब्यौरे इस प्रकार हैः

(i) ***आयात शुल्क :-*** 44165 करोड़ रुपए के मूल अनुमान की तुलना में, 2002–2003 के संशोधित अनुमान 44610 करोड़ रुपए आंका गया है ।

(क) बुनियादी शुल्क : वर्ष 2002-2003 के दौरान बुनियादी सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 25077 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमान 27343 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क : वर्ष 2002-2003 के दौरान अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 15936 करोड़ रुपए होना संभावित है। वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमान में यह राशि 16921 करोड़ रुपए रखी गई है।

(ग) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क : वर्ष 2002-2003 के दौरान विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 3595 करोड़ रुपए होना संभावित है। वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान में यह राशि वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान में 3075.40 करोड़ रुपए की तुलना में 3757 करोड़ रुपए रखी गई है।

(च) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान में 360 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

(ii) ***निर्यात शुल्क :-*** 2002–2003 में निर्यात शुल्कों से निवल संग्रहण का संशोधित अनुमान 13 करोड़ रुपए के मूल अनुमानों की तुलना में शून्य रखा गया है। 2003–2004 के बजट अनुमानों में यह 5 करोड़ रुपए रखा गया है ।

(iii) ***निर्यात पर उपकर :*** वर्ष 2002–2003 के संशोधित अनुमान और 2003–2004 के बजट अनुमान में यह क्रमशः 153 करोड़ रुपए और 163 करोड़ रुपए रखा गया है ।

(iv) ***अन्य प्राप्तियां :-*** वर्ष 2002-2003 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2003–2004 के बजट अनुमान में संग्रहण की राशि क्रमशः 737 करोड़ रुपए और 799 करोड़ रुपए रखी गई है।

संघ उत्पाद शुल्क

संघ उत्पाद शुल्क तथा उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। 2002–2003 के दौरान 87383 करोड़ रु. की प्राप्तियां होने का अनुमान है जबकि मूल बजट अनुमानों में 91433 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जो 4050 करोड़ रुपए की कमी दर्शाता है। 2003–2004 में 96791 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। निम्नलिखित सारणी में उत्पाद-शुल्क राजस्व का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है :-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
1. (क) बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क नीचे (ख) और (ग) को छोड़कर	67121.65	64668.00	69625.00
(ख) मोटर स्प्रिट पर उपकर	1044.00	1088.00	1641.00
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर	4445.00	4440.00	6750.00
जोड़	**72610.65**	**70196.00**	**78016.00**
2. वस्त्रों और वस्त्र वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	702.49	509.00	571.00
3. बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	4461.86	3084.00	3202.00
4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	850.00	937.00	1496.00
5. पैट्रौल माल पर अधिभार	6264.00	6550.00	6846.00
6. निम्नलिखित द्वारा प्रशासित निर्धारित उपकरः			
(क) चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	...	...	70.00
(ख) (क) को छोड़कर राजस्व विभाग द्वारा	6252.00	5717.00	6195.00
(ख) अन्य विभागों द्वारा	292.00	390.00	395.00
जोड़ (क+ख+ग)	***6544.00***	***6107.00***	***6660.00***
जोड़ (1+2+3+4+5+6)	***91433.00***	***87383.00***	***96791.00***

(i) बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क (जिसमें मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है) के 67121.65 करोड़ रुपए के मूल अनुमान की तुलना में 2002-2003 के लिए 64668 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान रखा गया है। 2003-2004 के लिए बजट अनुमान 69625 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ii) सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों पर लगाए गए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क नामक लेवी के कारण 2002-2003 के लिए संशोधित अनुमान 937 करोड़ रुपए रखा गया है जबकि बजट अनुमान 850 करोड़ रुपए था । वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमान 1496 करोड़ रुपए रखा गया है।

(iii) पेट्रोल पर लगाए गए अधिभार के कारण वर्ष 2002-2003 के लिए संशोधित अनुमान 6550 करोड़ रुपए रखा गया है जबकि बजट अनुमान 6264 करोड़ रुपए था। वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमान 6846 करोड़ रुपए रखा गया है।

(iv) "चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" की नई लेवी के कारण वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमान के लिए 70 करोड़ रुपए रखा गया है।

सेवा कर

6026 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2002-2003 का संशोधित अनुमान 5000 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2003-2004 का बजट अनुमान 8000 करोड़ रुपए है। ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
1	टेलीफोन	2016	2129	3199
2	बीमा	520	677	1018
3	दलाली	321	293	440
4	विज्ञापन	144	227	342
5	कूरियर	126	134	201
6	हवाई यात्रा एजेंट सेवा	42	56	84
7	क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेंट सेवा	55	65	98
8	परामर्शी इंजीनियर	60	129	193
9	चार्टर्ड एकाउन्टेंट	66	76	114
10.	सुरक्षा/गुप्तचर एजेंसी सेवा	31	60	90
11	प्रबंध परामर्श सेवा	41	66	100
12	सूचना और डाटाबेस अभिगम्यता सेवाएं	37	44	66
13	प्रसारण सेवा	55	102	154
14	बीमा सहायक सेवा	53	130	195
15	बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाएं	170	169	253
16	पत्तन सेवा	427	230	345
17	प्राधिकृत सेवा केंद्र सेवाएं	70	46	72
18	अन्य मौजूदा सेवाएं	1792	367	636
19	नई सेवाएं	...	...	400
	जोड़	**6026**	**5000**	**8000**

संघ राज्य क्षेत्रों के कर

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
भू-राजस्व	1.69	1.85	1.92
स्टाम्प और पंजीकरण	24.36	24.81	28.82
राज्य उत्पाद शुल्क	103.12	105.22	106.51
बिक्री कर	345.55	370.00	385.00
वाहनों पर कर	23.26	23.32	23.42
सामान और यात्रियों पर कर	4.20	4.20	4.55
बिजली पर कर और शुल्क	7.00	7.00	7.50
अन्य कर और शुल्क	3.48	3.48	3.48
जोड़	**512.66**	**539.88**	**557.20**
घटाइए			
संघ राज्य क्षेत्रों के करों और शुल्कों का स्थानीय निकायों को अंतरण	...	...	...
संघ राज्य क्षेत्रों के निवल कर	**512.66**	**539.88**	**557.20**

अन्य कर और शुल्क

ब्यौरा निम्न प्रकार है

(i)	विदेश यात्रा कर	300.00	300.00	330.00
(ii)	अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर	750.00	750.00	785.00
	जोड़	**1050.00**	**1050.00**	**1115.00**

(i)**विदेशी यात्रा कर** वित्त अधिनियम, 1971 के जरिए 15 अक्तूबर, 1971 से विदेश यात्रा पर कर लगाना प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में इस योजना में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री पर 500/- रु. की दर पर कर लगाने की व्यवस्था है। पड़ोसी देशों को की गयी यात्रा के लिए कर की दर 150/- रु. है। वापसी राशि को घटाकर संग्रहित राशि का एक तिहाई प्रतिशत संग्रहण प्रभारों के रूप में वाहक को अदा किया जाता है जिसके लिए व्यय बजट में व्यवस्था की गयी है।

(ii) **अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर:** वित्त अधिनियम, 1989 के जरिए अन्तर्देशीय हवाई यात्रा पर कर लगाना प्रारम्भ किया गया। यह कर किराए के 15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित होता है और विमान द्वारा देश के भीतर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों द्वारा देय होता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप द्वीप समूह मार्ग पर की गयी यात्राओं को इस कर से छूट प्राप्त है। कुछ अन्य छूटें भी लागू होती हैं, जैसे-टिकट खरीदने हेतु अमरीकी डालर में किये गए भुगतान पर छूट प्रदान की जाती है। संग्रहण प्रभारों के रूप में वाहक को संग्रहण राशि के 5 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। संग्रहण प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था व्यय बजट में की गयी है।